



# लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 125/2019

तारीखरजू:- 10-10-19

उनवान:- भरतलाल बनाम लालचन्द वगै०

दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

देनांक	फर्द अहकाम	
<p>10 19</p>	<p>वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 07.11.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>	<p>5003 10-10-19</p>
<p>23.10.19</p>	<p>वादी वकील द्वारा पत्रावली तलब कर स्वारिज जेमे दावा जर्जना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गई। वादी वकील ने कथन किया कि पक्षकारान के मध्य विवाद का निपटारा हो गया एी मुकदमा क्षोणे चलाना जही चाहते हैं। मुकदमा स्वारिज फरमा दिया जावे। वादी वकील ने दावा Not Press किया। अतः यह दावा Not Press में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली के सलत शुमार होकर नम्बरे कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपजिला कलक्टर                      टोडाभीम (करौली)                 </p>	<p>Not Press 23/10/19</p>